न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 74/2016 (2016/000165) वाद पत्र

अनवान

1. चन्द्रसिंह पिता स्व.श्री ख्याली लाल जी जाति महाजन(कोठारी) आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2. महेन्द्रसिंह पिता स्व.श्री ख्याली लाल जी जाति महाजन(कोठारी) आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती प्रेमदेवी विधवा स्व. श्री दलेल सिंह जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी रायपुर हाल निवासी 104 काशीपुरी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा।
4.श्रीमती आशा पुत्री स्व. श्री दलेल सिंह जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी रायपुर हाल निवासी 104 काशीपुरी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा।
5. राजकुमार पुत्र स्व. श्री दलेल सिंह जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी रायपुर हाल निवासी 104 काशीपुरी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा।

वादीगण

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पिता स्व.श्री ख्याली लाल जी जाति महाजन(कोठारी) आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 12.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 29.08.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम ढिकाणी पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर की सरहद में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाते में निम्न आराजी सं. 628 रकबा 1.24 है0 भूमि स्थित हे। उक्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बोड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादीगण का 3/4 हिस्से का स्वतन्त्र राजस्व खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 27.02.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ढीकाणी पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 628/1 रकबा 0.91 है0, भूमि चन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पिता ख्यालीलाल 2/3 प्रेमदेवी पत्नि दलेलसिंह, आशा पुत्री दलेलसिंह राजकुमार पिता दलेलसिंह 1/3 महाजन (कोठारी) सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 628/2 रकबा 0.30 है0 भूमि सुरेन्दसिंह पिता ख्यालीलाल महाजन (कोठारी) सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 628/3 रकबा 0.03 है0 सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.03.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीलवाड़ा (राज0)
सत्यमेव जयते

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 74/2016 (2016/000165) वाद पत्र

अनवान

1. चन्द्रसिंह पिता स्व.श्री ख्याली लाल जी जाति महाजन(कोठारी) आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2. महेन्द्रसिंह पिता स्व.श्री ख्याली लाल जी जाति महाजन(कोठारी) आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती प्रेमदेवी विधवा स्व. श्री दलेल सिंह जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी रायपुर हाल निवासी 104 काशीपुरी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा।
4. श्रीमती आशा पुत्री स्व. श्री दलेल सिंह जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी रायपुर हाल निवासी 104 काशीपुरी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा।
5. राजकुमार पुत्र स्व. श्री दलेल सिंह जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी रायपुर हाल निवासी 104 काशीपुरी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा।

वादीगण

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पिता स्व.श्री ख्याली लाल जी जाति महाजन(कोठारी) आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ढीकाणी पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 628/1 रकबा 0.91 है0, भूमि चन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पिता ख्यालीलाल 2/3 प्रेमदेवी पत्नि दलेलसिंह, आशा पुत्री दलेलसिंह राजकुमार पिता दलेलसिंह 1/3 महाजन (कोठारी) सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 628/2 रकबा 0.30 है0 भूमि सुरेन्दसिंह पिता ख्यालीलाल महाजन (कोठारी) सा. रायपुर खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 628/3 रकबा 0.03 है0 सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.17 17:58:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: